

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग, जयपुर

क्रमांक : एफ.10()/सा.भ./निविदा/2015-16/ 673

दिनांक : 8.4.2015

बोली सूचना

विभाग में निम्नानुसार दर संविदा हेतु मुहरबंद बोलियां इच्छुक/अनुभवी फर्मों से आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	बिड का विवरण	अनुमानित लागत	बिड प्रपत्र शुल्क	बोली सुरक्षा राशि	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	बिड खोलने की तिथि व समय
1.	मुद्रण, लेखन एवं स्टेशनरी सामग्री	10.00 लाख	200/-	20000/-	05.05.2015 सांय 3.00 बजे	05.05.2015 सांय 3.30 बजे
2	कम्प्यूटर हार्डवेयर	4.00 लाख	200/-	8000/-	05.05.2015 सांय 3.00 बजे	05.05.2015 सांय 4.00 बजे
3	विद्युत सामग्री	1.00 लाख	200/-	2000/-	05.05.2015 सांय 3.00 बजे	05.05.2015 सांय 4.30 बजे
4	विविध सामग्री	1.00 लाख	200/-	2000/-	05.05.2015 सांय 3.00 बजे	05.05.2015 सांय 5.00 बजे
5.	डिजीटल फोटो स्टेट मशीन मय आपरेटर किराये स्थापित किये जाने हेतु	4.00 लाख	200/-	8000/-	05.05.2015 सांय 3.00 बजे	05.05.2015 सांय 5.30 बजे
6.	पर्यटन विभाग में पूर्ण सफाई कार्य	2.00 लाख	200/-	4000/-	05.05.2015 सांय 3.00 बजे	05.05.2015 सांय 6.00 बजे
7.	प्रिन्टिंग कार्य लैटर हैड, विजिटिंग कार्ड, प्रगति प्रतिवेदन, भंडार वितरण पंजिका का मुद्रण कार्य	2.00 लाख	200/-	4000/-	05.05.2015 सांय 3.00 बजे	05.05.2015 सांय 6.30 बजे

बोली दस्तावेज एवं शर्तें विभागीय वेबसाइट "www.rajasthantourism.gov.in" अथवा "<http://sppp.raj.nic.in>" पर देखी व डाउन लोड की जा सकती है। वेबसाइट से डाउन लोड किये गये प्रत्येक बिड प्रपत्र की कीमत रुपये 200/- बोलीदाता द्वारा बिड के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी।

sd
अतिरिक्त निदेशक (विकास)

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई. रोड, जयपुर

क्रमांक: एफ-10()प्रिन्टिंग/सा. भण्डार/पवि/2015-16/

दिनांक:

बोली प्रपत्र

प्रिन्टिंग कार्य हेतु बोली।

1. बोलीदाता का नाम एवं पत्राचार का स्थायी पता-----

2. बोलीदाता का दूरभाष संख्या ----- मोबाईल ----- सं.-----
3. निमित्त :- निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. बोली सूचना संख्या ----- दिनांक ----- ।
5. बोली फार्म शुल्क की राशि रू0 200/- नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या-----
दिनांक----- के द्वारा जमा कराई जा चुकी है।
6. बयाना राशि के निमित्त रूपये 3000/- (अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र) नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर
चैक संख्या----- दिनांक----- संलग्न है।
7. बोली में दी गई दरें कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होंगी।
8. पेपर सहित प्रिन्टिंग कार्य की दरें निम्न प्रकार है :-

S.No.	Detail of Works	Screen Printing Only	Screen Printing with Paper
1.	Visiting Card Five color screen printing GSM		
2.	Visiting Card Golden ambos+ single color screen printing GSM		
3.	Letter Head size A-4 Five color screen printing GSM		
4.	Letter Head size A-5 Five color screen printing GSM		
5.	Letter Head size A-4 Golden ambos+ single color screen printing GSM		
6.	Letter Head size A-5 Golden ambos+ single color screen printing GSM		
7.	Store Issue Voucher Book 3 copies with Book and serial Number (10 Books) GSM		
8.	Visitor SleepBook (50 Books) GSM Size		

नोट :- क्रम संख्या 7-9 प्रिन्टिंग कार्य का नमूना किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में देखा जा सकता है।

9. दरें सभी प्रकार के टैक्स सहित है।
10. कार्य विभागीय ओदशानुसार निर्धारित अविधि में तैयार कर सामान्य भण्डार में उपलब्ध करानी होगी।
11. कार्यादेश से 03 दिवस की अवधि में प्रूफ उपलब्ध करवाया जावेगा एवं प्रूफ अनुमोदन से 04 दिवस की अवधि में मुद्रण कार्य सम्पादन कर दिया जावेगा।
12. कार्य ओदश दिये जाने के कुल 7 दिवस में पूर्ण करना होगा।
13. आयकर स्थाई लेखा संख्या (पैन नं.) संलग्न है।
14. बोलीदाता, आयुक्त पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ----- दिनांक:----- में वर्णित सभी शर्तों व बोली फार्म एवं संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

पर्यटन विभाग द्वारा प्रिन्टिंग कार्य किये जाने सम्बन्धी शर्तें

1. विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारित निविदा पत्र में पूर्ण रूप से भरी गई बोली निर्धारित दिनांक तक ही स्वीकार की जावेगी । आंशिक रूप से भरे हुए निविदा फार्म संशोधन के साथ निविदा प्रपत्र एवं सशर्त निविदा प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे एवं निरस्त कर दिये जाएंगे ।
2. बोली में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग नहीं होनी चाहिए । यदि कोई कटिंग हो तो दरों का स्पष्ट उल्लेख करें, कटिंग एवं ओवरराईटिंग पर लघु हस्ताक्षर करना अनिवार्य है । ऐसी स्थिति में शब्दों में लिखी दरें ही स्वीकार्य होंगी ।
3. बोली देने वाली फर्म की निम्न सूचना टेण्डर फार्म के साथ पृथक से संलग्न की जावें:—
(अ) यदि एक स्वामित्व की है तो स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता ।
(ब) यदि भागीदारी का है, भागीदारी— डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र तथा सभी भागीदरों के पूर्ण नाम एवं पते ।
(स) यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते ।
4. आयकर के संबंध में स्थाई लेखा संख्या व वाणिज्य कर विभाग का कर चुकता प्रमाण—पत्र बोली के साथ संलग्न किया जावेगा ।
5. बोली के साथ फर्म के लाभ के लिए यदि जानबूझकर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं ऐसी निविदा को आयुक्त, पर्यटन विभाग किसी भी स्तर पर/समय पर निरस्त करने के लिए अधिकृत होंगे ।
6. बोली फार्म में अंकित दस्तावेज विभाग के मांगे जाने पर मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे ।
7. आयुक्त, पर्यटन विभाग समस्त/किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताएं निरस्त करने को अधिकृत होंगे ।
8. विभाग द्वारा मात्र न्यूनतम दर वाली बोली स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, निविदा का चयन दर व गुणवत्ता दोनों के आधार पर किया जायेगा एवं ऐसा करने पर विभाग किसी भी बोलीदाता को कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है ।
9. बोली स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले अनुबन्ध की पालना के लिए बोलीदाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिक जिम्मेदार होंगे ।
10. विभाग के पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी । फर्म के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही का पूर्ण अधिकार आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को होगा एवं दर निविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी ।
11. कार्यादेश जारी होने की तिथि से सात दिवस में निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में करार निष्पादित करना होगा एवं कुल कार्य की राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करवानी होगी । प्रतिभूति रोकड़, बैंक ड्राफ्ट, स्थाई जमा रसीद, पोस्ट ऑफिस जमा, बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है । इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । निविदादाता की बयाना राशि के रूप में जमा राशि को प्रतिभूति निक्षेप की राशि में समायोजित कर लिया जावेगा ।
12. बोली के साथ बोलीदाता को निविदा सूचना के अनुसार अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत बयाना राशि के रूप में जमा करानी होगी इस हेतु केश रिसिप्ट/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम से हो, संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
(1) असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि लिखित आवेदन करने पर अविलम्ब लौटा दी जायेगी ।

- (2) बयाना राशि पर कोई ब्याज किसी भी स्थिति में देय नहीं होगा । निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी ।
13. बोलीदाता निविदा स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/ हिस्से या सम्पूर्ण कार्य को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा ।
 14. बिना कारण बताये अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार आयुक्त, पर्यटन विभाग को होगा। ऐसी स्थिति में जितना कार्य हुआ है उतने का ही भुगतान किया जायेगा ।
 15. दोनो पक्षो की सहमति से अनुबन्ध की अवधि छः माह के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।
 16. सफल बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध अवधि के पूर्व अपनी निविदा को हटाने पर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी ।
 17. अंकेक्षण के दौरान यदि बोलीदाता के विरुद किसी प्रकार की बकाया राशि निकाली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसके द्वारा की जावेगी, अन्यथा की स्थिति में विभाग में उपलब्ध प्रतिभूति राशि मे से उपरोक्त बकाया राशि को समायोजित कर लिया जावेगा ।
 18. संविदा अवधि में सविदा के दोना पक्षो बोलीदाता एवं पर्यटन विभाग के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, पर्यटन द्वारा अथवा उनके द्वारा मनोनित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष दोनो पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त, पर्यटन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं पक्षो को बाध्यकारी होगा ।
 19. किसी भी कानूनी विवाद के लिये जयपुर स्थित न्यायालयो मे ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
 20. उपरोक्त समस्त शर्तो की स्वीकृति के रूप में निविदादाता को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुये बोली प्रस्तुत करनी है।
 21. बिल का भुगतान बिल के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र भुगतान किया जायेगा। परन्तु कोषालय से बिल पारित होने पर ही भुगतान संभव होगा ।
 22. सामान्य वित्तीय लेखा नियमो मे वर्णित प्रावधानो की पालना की जायेगी ।

अतिरिक्त निदेशक
(विकास)

बोली प्रपत्र की समस्त शर्तो को पढ लिया, समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबंधित रहेंगे/रहूंगा। मैने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई. रोड जयपुर

सफाई कार्य का बोली प्रपत्र

1. विषय : पर्यटन निदेशालय, होटल खासा कोठी परिसर एवं गॉवर्मेन्ट हॉस्टल परिसर जयपुर में सफाई कार्य के लिये निविदा।
2. बोलीप्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता व दूरभाष संख्या.....
3. निमित्त:- निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर।
4. बोली सूचना संख्या:एफ.10() सफाई/सा. भ./पवि/2015/ दिनांक
5. बोली फार्म शुल्क की राशि रुपये 200/- रसीद संख्या दिनांक द्वारा कार्यालय में जमा करा दी है।
6. बयाना राशि रु 4000/- (अक्षरे राशि रु. चार हजार मात्र) हेतु नकद रसीद/ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या दिनांकसंलग्न है।
7. सफाई कार्य की दरें निम्न प्रकार होंगी:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	मासिक ठेके की राशि
	पर्यटन विभाग में पूर्ण सफाई कार्य।	राशि रु. (अंको में)..... (शब्दों में) अक्षरे रूपये.....
1.	खासा कोठी परिसर का विभागीय हिस्सा
2.	गॉवर्मेन्ट हॉस्टल स्थित एनेक्सी भवन

8. बयाना राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं पूर्व में जमा राशि उपर्युक्त निविदा के लिए मान्य नहीं होगी
9. बोली प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित शुल्क का भुगतान कर विभाग के रोकड़िये से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है।
10. बोली सूचना में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा निविदा सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
11. बोली में दी गयी दरें कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
12. आयकर स्थाई लेखा संख्या (पैन नं.) संलग्न है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(नाम) फर्म का पता

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई. रोड, जयपुर

निविदा प्रपत्र
डिजीटल फोटो स्टेट मशीन किराये पर विभाग में स्थापित करने बाबत

1. निविदादाता का नाम एवं पत्राचार का स्थायी पता: _____
2. निविदादाता का दूरभाष संख्या _____ मोबाईल सं. _____
3. निमित्त :- निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निविदा सूचना संख्या दिनांक
5. निविदा फार्म शुल्क की राशि रू0 200/- नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या _____ दिनांक _____ के द्वारा जमा कराई जा चुकी है ।
6. बयाना राशि के निमित्त रूपये 4000/- (अक्षरे रूपये चार हजार मात्र) नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक संख्या _____ दिनांक _____ संलग्न है ।
7. निविदा में दी गई दरें कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होंगी ।
8. 70 जी.एस.एम. पर फोटो स्टेट की दरें निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

क्रम संख्या	कागज की साईज	दर प्रति कॉपी समस्त कर एवं व्यय सहित
1.	ए-4 साईज (एक तरफ)	
2.	ए-4 साईज (दोनों तरफ)	
3.	एफ-एस साईज (एक तरफ)	
4.	एफ-एस साईज (दोनों तरफ)	
5.	ए-3 साईज (एक तरफ)	
6.	ए-3 साईज (दोनों तरफ)	
7.	स्पायरल बाईण्डिंग ए-4	
8.	स्पायरल बाईण्डिंग एफ-एस	
9.	कलर फोटो कॉपी, साईज-ए-4	
10.	कलर फोटो कॉपी, साईज-ए-3	
11.	कलर फोटो कॉपी, साईज-एफ-एस	

9. दरें सभी प्रकार के टैक्स सहित है ।
10. अंकित दरों में मशीन पर मशीनमैन की सुविधा एवं मशीनों का रख-रखाव, कागज एवं अन्य कन्ज्यूमेबिल सम्मिलित है। इसके लिये अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जावेगा ।
11. विभाग मशीन स्थापित करने हेतु केवल स्थान एवं विद्युत की सुविधा उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी सुविधा की मांग नहीं की जावेगी ।
12. निविदादाता द्वारा नवीनतम मॉडल की फोटो स्टेट मशीन विभाग में स्थापित की जावेगी ।
13. कलर फोटो स्टेट की आवश्यकता होने पर हम अपने संस्थान से उक्त कार्य कर विभाग में देंगे। कलरफोटों कॉपी के लिए पृथक से मशीन विभाग में नहीं लगाई जायेगी ।
14. बिक्री कर चुकता प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न है ।
15. आयकर स्थाई लेखा संख्या (पैन नं.) संलग्न है ।
16. निविदादाता, आयुक्त पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या _____ दिनांक: _____ में वर्णित सभी शर्तों व निविदा फार्म एवं संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पर्यटन विभाग द्वारा फोटो स्टेट मशीन किराये पर लिये जाने बाबत अनुबन्धित करने सम्बन्धी शर्तें

1. विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारित निविदा पत्र में पूर्ण रूप से भरी गई निविदा निर्धारित दिनांक तक ही स्वीकार की जावेगी । आंशिक रूप से भरे हुए निविदा फार्म संशोधन के साथ निविदा प्रपत्र एवं सशर्त निविदा प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे एवं निरस्त कर दिये जाएंगे ।
2. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग नहीं होनी चाहिए । यदि कोई कटिंग हो तो दरों का स्पष्ट उल्लेख करें, कटिंग एवं ओवरराईटिंग पर लघु हस्ताक्षर करना अनिवार्य है । ऐसी स्थिति में शब्दों में लिखी दरें ही स्वीकार्य होंगी ।
3. निविदा देने वाली फर्म की निम्न सूचना टेण्डर फार्म के साथ पृथक से संलग्न की जावें:-
(अ) यदि एक स्वामित्व की है तो स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता ।
(ब) यदि भागीदारी का है, भागीदारी- डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र तथा सभी भागीदरों के पूर्ण नाम एवं पते ।
(स) यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते ।
4. अंकित दरों में मशीन पर मशीनमैन की सुविधा एवं मशीनों का रख-रखाव व कागज की लागत सम्मिलित होगी । इसके लिये अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा ।
5. आयकर के संबंध में स्थाई लेखा संख्या व वाणिज्य कर विभाग का कर चुकता प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जावेगा ।
6. निविदा के साथ फर्म के लाभ के लिए यदि जानबूझकर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं ऐसी निविदा को आयुक्त, पर्यटन विभाग किसी भी स्तर पर/समय पर निरस्त करने के लिए अधिकृत होंगे ।
7. निविदा फार्म में अंकित दस्तावेज विभाग के मांगे जाने पर मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे ।
8. आयुक्त, पर्यटन विभाग समस्त/किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताएं निरस्त करने को अधिकृत होंगे ।
9. विभाग द्वारा मात्र न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, निविदा का चयन दर व गुणवत्ता दोनों के आधार पर किया जायेगा एवं ऐसा करने पर विभाग किसी भी निविदादाता को कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है ।
10. निविदा स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले अनुबन्ध की पालना के लिए निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिक जिम्मेदार होंगे ।
11. विभाग के पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी । फर्म के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही का पूर्ण अधिकार आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को होगा एवं दर संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी ।
12. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में कार्यादेश जारी होने की तिथि से तीन दिवस में निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में करार निष्पादित करना होगा एवं कुल कार्य की राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करवानी होगी । प्रतिभूति रोकड़, बैंक ड्राफ्ट, स्थाई जमा रसीद, पोस्ट ऑफिस जमा, बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है । इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । निविदादाता की बयाना राशि के रूप में जमा राशि को प्रतिभूति निक्षेप की राशि में समायोजित कर लिया जावेगा ।
13. निविदा के साथ निविदादाता को निविदा सूचना के अनुसार अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत बयाना राशि के रूप में जमा करानी होगी इस हेतु केश रिसिप्ट/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम से हो, संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
(1) असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि लिखित आवेदन करने पर अविलम्ब लौटा दी जायेगी ।
(2) बयाना राशि पर कोई ब्याज किसी भी स्थिति में देय नहीं होगा । निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने, प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाने अथवा फोटो स्टेट मशीनें उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी ।
14. निविदादाता निविदा स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/ हिस्से या सम्पूर्ण कार्य को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा ।
15. स्वीकृत निविदादाता अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वयं के कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों एवं कार्यों के दौरान उत्पन्न जोखिम एवं हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा । पर्यटन विभाग का इस बारे में किसी भी स्तर पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
16. किसी भी मशीन पर बालश्रमिकों को नहीं लगाया जावेगा । यदि कार्य करते समय मशीन ऑपरेटर मशीन से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसके कर्मचारियों को चोट लग जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा, परन्तु इसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा 24 घण्टे में विभाग को देनी होगी ।
17. सफल निविदादाता को अनुबन्ध पत्र एवं निर्धारित प्रतिभूति राशि तीन दिवस में विभाग को प्रस्तुत करनी होगी एवं विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने से तीन दिवस में मशीन विभाग स्थापित करनी होगी ।

18. मशीन मैन द्वारा अनुपस्थित रहने पर फर्म को दूसरा व्यक्ति तुरन्त उपलब्ध कराना होगा। ऐसी न करने की स्थिति में अनुपस्थित/अवधि का बिल की राशि में 30 का भाग देकर वेतन काटा जायेगा तथा मशीन मैन द्वारा देरी से उपस्थित होने पर प्रतिदिन के घंटों के हिसाब से गणना की जायेगी तथा अनुपस्थिति की हो जाने पर 8 घंटे एक दिना अनुपस्थित माना जायेगा।
19. अनुबन्धित मशीने हर कार्य दिवस में सामान्यतया प्रातः 9.15 बजे से सांय 6.30 बजे तक कार्यरत रहेगी। विभाग में कार्य होने पर समय से पूर्व व समय के पश्चात भी फोटो स्टेट मशीनमैन से कार्य लिया जा सकता है, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. आवश्यकता होने पर कलर फोटोकॉपी करवाकर वापस लाकर देनी होगी।
21. निविदादाता द्वारा की गई सेवाएं का भुगतान मासिक किया जावेगा। माह की समाप्ति पर अनुबन्धकर्ता बिल तीन प्रतियों में विभाग को प्रस्तुत करेगा। भुगतान के लिये वर्क बुक आदि साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी।
22. अनुबन्धित मशीनो के किसी भी दिन कार्यशील नही होने पर रु0 200/- प्रतिदिन के हिसाब कटोती की जावेगी एवं तीन दिवस से अधिक मशीन खराब होने पर तुरन्त मशीन बदली जायेगी।
23. बिना कारण बताये मशीनों का अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार आयुक्त, पर्यटन विभाग को होगा। ऐसी स्थिति में अनुबन्धित मशीनों ने जितना कार्य हुआ है उतने का ही भुगतान किया जायेगा।
24. दोनो पक्षो की सहमति से अनुबन्ध की अवधि छः माह के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
25. सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध अवधि के पूर्व अपनी मशीनो को स्वेच्छा से नही हटायेगा, यदि हटाया जाता है तो विभाग में जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
26. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरुद किसी प्रकार की बकाया राशि निकाली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसके द्वारा की जावेगी, अन्यथा की स्थिति में विभाग में उपलब्ध प्रतिभूति राशि मे से उपरोक्त बकाया राशि को समायोजित कर लिया जावेगा।
27. संविदा अवधि में संविदा के दोना पक्षो निविदादाता एवं पर्यटन विभाग के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, पर्यटन द्वारा अथवा उनके द्वारा मनोनित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष दोनो पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त, पर्यटन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं पक्षो को बाध्यकारी होगा।
28. किसी भी कानूनी विवाद के लिये जयपुर स्थित न्यायालयो मे ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
29. उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन की दशा मे अनुबन्ध निरस्त कर मशीनो को हटाया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशी जब्त करली जावेगी।
30. उपरोक्त समस्त शर्तो की स्वीकृति के रुप में निविदादाता को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुये निविदा प्रस्तुत करनी है।
31. बिल का भुगतान बिल के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र भुगतान किया जायेगा। परन्तु कोषालय से बिल पारित होने पर ही भुगतान संभव होगा।
32. सामान्य वित्तिय लेखा नियमो मे वर्णित प्रावधानो की पालना की जायेगी।

अतिरिक्त निदेशक (विकास)

निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तो को पढ लिया, समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबंधित रहेंगे/रहूंगा। मैंने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

बोली प्रपत्र

1. विषय : मुद्रण लेखन एवं स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति के लिए बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता व दूरभाष संख्या
.....
.....
3. संदर्भ बोली सूचना क्रमांक:एफ.10()स्टेशनरी/सा.भ./पवि/2015/..... दिनांक.....
4. किसको सम्बोधित किया गया है :- निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर
5. बोली दस्तावेज शुल्क की राशि रूपये 200/- रसीद सं.
दिनांक द्वारा कार्यालय में जमा करा दी है।
6. बोली सूचना में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा बोली सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
7. बोली प्रपत्र के साथ संलग्न नॉन शैड्यूल में प्रदाय की जाने वाली सामग्री के नाम व मात्रा के सामने दरें अंकित कर दी गई है।
8. उक्त दरें दर अनुमोदन आदेश होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से अधिकतम 3 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
9. धरोहर राशि हेतु आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर के पक्ष में रु. 16000/- का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या दिनांकद्वारा कार्यालय में जमा करा दिया गया है।
10. इसके साथ गत वित्तीय वर्ष का बिक्री कर/वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर रजिस्ट्रेशन विभाग/उत्पाद शुल्क विभाग के कर चुकता किये जाने के प्रमाण स्वरूप गत वर्ष के चालान/रिटर्न की प्रतियाँ संलग्न है। बिक्री कर रजिस्ट्रेशन क्रमांक
11. बालीदाता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर.प्रारूप-11 संलग्न है।
12. PAN No. की छांयाप्रति संलग्न कर दी गई है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

मुद्रण, लेखन एवं स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति के लिए बोली।

बोलीदाता फर्म का नाम _____

क्र.सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	न्यूनतम दर (रूपयों में)	
			अंको में	शब्दों में
1.	स्टाम्प पैड (छोटे) 95 x 52 स्टाम्प पैड (बड़े) 110 x 70	75 नग 25 नग		
2.	स्टाम्प इंक (अशोका)	10 दर्जन		
3.	पिन कुशन (सुपिरियर) (नमूने अनुसार)	15 दर्जन		
4.	स्टेपलर (बड़ी) एच.पी.45 मशीन	10 पीस		
5.	स्टेपलर (छोटी) एच.पी.10 मशीन	100 पीस		
6.	ब्लैक पेंसिल ब्लैक पेंसिल	20 पैकेट 20 पैकेट		
7.	शॉर्ट हैण्ड पेंसिल	10 पैकेट		
8.	शॉपनर	100 नग		
9.	पेन्सिल रबड़	100 नग		
10.	फाइल लेस	50 पैकेट		
11.	व्हाइट करेक्टिंग पैन	30 नग		
12.	व्हाइट करेक्टिंग फ्लूड -15 एम.एल	300 नग		
13.	शॉर्ट हैण्ड नोटबुक (200 पेज)	10 दर्जन		
14.	रजिस्टर (160 पेज)-लेजर पेपर	200 नग		
15.	रजिस्टर (300 पेज)-लेजर पेपर	50 नग		
16.	फोटो स्टेट पेपर, ए-4, 75 जी.एस.एम	1500 रिम 1. जेके 2. मोदी 3.टी.एन.पी.एल		
17.	फोटो स्टेट पेपर (फुल स्केप), 75 जी.एस.एम.	200 रिम 1. जेके 2. मोदी 3.टी.एन.पी.एल		
18.	ऑलपिन (जेबरा) 25 एम.एम	500 पैकेट		
19.	जैम पेपर क्लीप	500 पैकेट		
20.	पेपर वेट (सुपर क्वालिटी) (नमूने अनुसार)	20 दर्जन		
21.	सेलो टेप (स्मॉल साइज)	150 पीस		
22.	सेलो टेप (बड़ी साइज) - 2"	150 पीस		
23.	ब्राउन टेप- 2"	100 पीस		
24.	हाई लाइटर (फेवर कस्टर)	40 पैकेट		
25.	स्टेपलर पिन (बड़ी साइज) नं. 3.1 एम	100 पीस		

26.	स्टेपलर पिन (छोटी साइज)	500 पीस		
27.	केलकूलेटर 12 डिजिट (नमूने अनुसार)	20 पीस		
28.	प्लास्टिक स्केल (12 इंच) स्टील स्केल (12 इंच)	10 दर्जन		
29.	बॉल पेन	500 पीस		
30.	बॉल पेन रिफिल	500 पीस		
31.	बॉल पेन	500 पीस		
32.	बॉल पेन	500 पीस		
33.	एडजेल पैन (लाल, नीला, काला)	400 पीस		
34.	एडजेल पैन (लाल, नीली, काली)	500 पीस		
35.	पैन यूनीबाल जेल इम्पेक्ट	100		
36.	जेल इम्पेक्ट	100		
37.	पैन वी सिगनेचर पायलेट	50		
38.	वी सिगनेचर पायलेट (रिफिल)	50		
39.	टेबल गिलास (सेन्टा गोबन) (5 एम.एम. मोदी)	500 फीट		
40.	पोस्ट इट कलर फलेग (पोस्ट इट)	प्रत्येक 20दर्जन		
41.	नोटशीट (ए-4 साइज) एकज्यूकेटिव लेड फिनिश पेपर, विभागीय नाम मुद्रण सहित	15000 पीस		
42.	पोखर (मयूरा)	20 दर्जन		
43.	लिफाफे (फाइल साइज क्लॉथ)	500 पीस		
44.	लिफाफे सफेद 9" X 4" 6" X 4" A-4 Size	2000 पीस		
45.	लिफाफे सफेद A-4 Size क्लोथ	2000 पीस		
46.	लिफाफे ब्राउन 9" X 4" 11" X 5"	10000 पीस 5000 पीस		
47.	प्लास्टिक फाईल कवर (सोलो)	1000 पीस		
48.	प्लास्टिक डॉक्यूमेन्ट फाईल कवर (सोलो)	50 पीस		
49.	प्लास्टिक रिंग फाईल कवर (सोलो)	50 पीस		
50.	टी.ए बिल रजिस्टर	5 पीस		
51.	टी.ए बिल फॉर्म	500		
52.	मैडिकल बिल रजिस्टर	5पीस		
53.	मैडिकल बिल फॉर्म (बड़े)	1000		
54.	मैडिकल बिल फॉर्म (छोटे)	500 पीस		
55.	एफवीसी बिल फॉर्म	3000 पीस		

56.	फॉर्म GA-1	3000 पीस		
57.	केशबुक (बड़ी साइज)	5 पीस		
58.	इनकेशमेन्ट रजिस्टर	10 पीस		
59.	चालान फॉर्म	2000 पीस		
60.	बिल रजिस्टर (100 पेज)	2 पीस		
61.	बिल ट्रांजिट रजिस्टर (100 पेज)	2 पीस		
62.	लोन एण्ड एडवांस रजिस्टर	1 पीस		
63.	D.D आवक रजिस्टर	1 नग		
64.	D.D जावक रजिस्टर	2 नग		
65.	डिस्पेच रजिस्टर (400 पेज)	10 पीस		
66.	रिसिप्ट रजिस्टर (400 पेज)	10 पीस		
67.	सर्विस पोस्टेज रजिस्टर	10 पीस		
68.	स्टेट इंश्योरेन्स पासबुक	20 पीस		
69.	जी.पी.एफ पासबुक	20 पीस		
70.	पेंशन सेट	50 पीस		
71.	सर्विस बुक	25 पीस		
72.	सर्विस रोल	25 पीस		
73.	पिऑन बुक	12 नग		
74.	लॉग बुक	12 नग		
75.	स्लीप पेड 80 पैज	200 नग		
76.	स्लीप पेड 40 पैज	200 नग		
77.	स्लीप पेड 20 पैज	500 नग		
78.	स्पाईरल नोट बुक 67नील गगन-800 सीट	50 नग		
79.	स्पाईरल नोट बुक 05 छोटी	100 नग		
80.	फाईल पंचीग मशीन कंगारू	30 नग		
81.	टैग्स सुपिरियर	50 पैकेट		
82.	पेपर कटर नटराज	50 नग		
83.	गोन्द (कैमलिन) 150 एम.एल.	50नग		
84.	ग्लूस्टिक 15 ग्राम	100 नग		
85.	कार्बन पेपर नीले (कोरस)	10 पैकेट		
86.	प्लास्टिक फोल्डर प्लास्टिक क्लियर फोल्डर	50 पैकेट		
87.	प्लास्टिक रिंग फाईल	20 नग		
88.	प्लास्टिक क्लिप फाईल	20 नग		
89.	ए.सी.आर फार्म	200 नग		
90.	मार्कर पेन	50 पीस		
91.	परमानेन्ट मार्कर	20 पीस		

नोट :-

1. अंको एव शब्दों में दी गई दरों में अन्तर होने पर जो दर कम होगी वह ही मान्य होगी।
2. प्रपत्र में दी गई सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
3. यदि अनुमत किस्म, मेक या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. कमेटी द्वारा सामग्री की मार्का, तादाद आदि सत्यापित करने के पश्चात ही स्टोरकीपर द्वारा सामग्री स्वीकार की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानों /उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, मेरी/हमारी प्रतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समपहृत कर दिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर
बोली एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदाकार को निविदा देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ।

1. बोलीयां, बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफों में बन्द करके प्रस्तुत की जानी चाहिये ।
2. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें शब्दों के साथ अंकों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए ।
3. बोली उन फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड अनुमोदित प्रदायक हैं, या उनके द्वारा जो उस सामान का जिसके लिए बोली दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हैं ।
4. प्रदाय किये जाने वाले सामान सम्बन्धी शर्तों, विस्तृत विवरण आदि के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो प्रभारी अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है ।
5. बोलीदाता अपनी बोली अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे हस्तान्तरित कर सकेगा ।
6. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान, उसके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण, व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत प्रमाणिक नमूनों से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिये और किसी ऐसे सामान के मामले में जिसके लिए कोई प्रमाणिक या स्वीकृत नमूने नहीं हैं, सामान का प्रदाय भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्रकार की किस्म का होना चाहिये । सामान की किस्म के सम्बन्ध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा बोलीदाता के लिए मान्य होगा । प्रदाय की गई किन्ही ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जावें तथा जिन्हे अस्वीकार कर दिया जाये या बदलवाई जाये और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों की अस्वीकृत अथवा बदले जाने के कारण प्रदायकों को कोई हानि हो तो वह पूर्ण रूप से निविदाकार के जिम्मे होगी ।
7. अस्वीकृत वस्तुओं को, अस्वीकृत की सूचना की तारीख से 7 दिवस में निविदा देने वाले द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिये । सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे सामान का यथोचित ध्यान रखेंगे, लेकिन उनके भू-गृहादि में रखे सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए वे किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होंगे ।
8. बोलीदाता, सामान की सही तरीके से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा ।
9. समस्त प्रस्तावित दरें एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए । स्थानीय प्रदायों के मामलों में भी दरों में समस्त कर शामिल होने चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा और सामान की सुपुर्दगी आयुक्त, पर्यटन विभाग, गवर्नमेन्ट हॉस्टल परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर में देनी होगी ।
10. बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई है के द्वारा वस्तुओं की प्रदाय की व्यवस्था विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार करनी होगी । क्रय अधिकारी बिना कारण बताये सप्लाई आदेश को घटा/बढ़ा सकता है । क्रय आदेश कार्यालय में सामान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर दिये जावेंगे । विशेष परिस्थितियों में विभाग को समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्टेशनरी की तुरंत आवश्यकता की शीघ्र सप्लाई करने के लिए मांग की सूचना दूरभाष पर दी जा सकती है जिसकी पुष्टि पत्र द्वारा भी भेजी जावेगी ऐसी मात्रा की सप्लाई 2 दिवस में करनी होगी ।
11. वस्तुओं का प्रदाय विभाग के समाधानप्रद नहीं होने पर प्रदाय की संविदा किसी भी समय रद्द

की जा सकती है ।

12. बोली स्याही पैन या बालपैन से भरी जानी चाहिए । पैसिल से या अन्य किसी से भरी गई किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदा में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये । कोई ऑवर राइटिंग नहीं की जानी चाहिए । शुद्धियां यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।
13. बोलीदाता को, बोली और करार की शर्तों और प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए ।
14. सफल बोलीदाताओं को निर्धारित प्रारूप में 500/- रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में एक करार निष्पादित करना होगा तथा अनुबन्ध राशि की 5% राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में बैंकर चैक/डी.डी./एन.एस.सी. द्वारा जमा करवानी होगी जो संतोषप्रद रूप से कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जाएगी । ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय प्रदायक करेगा । प्रदायक को स्टाम्प लगे हुये निष्पादित करार की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायेगी । यदि बोलीदाता को प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या विहित कालावधि के करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तों का भंग माना जायेगा तथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी । निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या अनुबन्ध को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर प्रतिभूति राशि क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा ।
15. संदाय पर विप्रेक्षण व्यय (रेमिटेंस चार्ज) संविदाकारों द्वारा वहन किये जायेंगे ।
16. यदि बोली सामान की सप्लाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी नहीं की गई तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह बोलीदाता को सूचना दिये बिना बोलीदाता के हिसाब में और उसकी जोखिम (रिस्क एण्ड कोस्ट) पर यह माल या उसका कोई भाग जो बोलीदाता सप्लाई न कर पाया हो, और कहीं से भी खरीद लेगा । बोलीदाता की सेवाएं असंतोषप्रद होने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को रद्द कर दे तथा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर ले। इस सम्बन्ध में आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
17. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जायेगा एवं विधि मान्यता की अवधि तथा सुपुर्दगी की अवधि परस्पर सहमति होने पर बढ़ाई जा सकेगी ।
18. विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी भी बोली या उसके किसी भाग को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।
19. बोलीदाता, बोली के साथ अपरिहार्य रूप में सम्बन्धित सर्किल के बिक्रीकर/वाणिज्यिक कर/उत्पाद शुल्क विभाग का चुकता करने के प्रमाण स्वरूप चालान/रिटन की प्रतियाँ सलंगन करेगा। जिनके बिना बोली पर विचार नहीं किया जा सकेगा । परन्तु यदि क्रेता प्राधिकारी के पास ये विश्वास करने के कारण हों (जिन्हें, अभिलिखित किया जाना चाहिये) कि बोलीदाता बिक्रीकर का शोधन प्रमाण पत्र किन्ही वास्तविक कारणों से नहीं दे सकता है, तो प्राधिकारी बोली पर विचार कर सकता है परन्तु वह बोलीदाता को उक्त प्रमाण-पत्र, हर दशा में संविदा का इकरारनामा निष्पादित करने से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये । ऐसी फर्म जिनका बिक्री कर विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसी फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकती है ।
20. वैधानिक क्षेत्राधिकार जयपुर में स्थित न्यायालय ही होंगे ।
21. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जावेगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से आर्डर के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई

करेगा ।

22. परिनिर्धारित क्षति : विलम्बित सुपुर्दगी के मामलों में सुपुर्दगी अवधि में सक्षम स्वीकृति के बिना विलम्ब हेतु निम्नांकित विवरणानुसार परिनिर्धारित क्षति वसूल की जावेगी : –
- क) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए क्रय आदेश का 2.5 प्रतिशत
- ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए क्रय आदेश का 5 प्रतिशत
- ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए क्रय आदेश का 7.5 प्रतिशत
- (घ) विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
23. बोली प्रपत्र के साथ क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची संलग्न है जिसमें वर्णित स्पेशिफिकेशन/मार्का के अनुसार ही दरें प्रस्तुत की जावे । एक वस्तु की एक ही दर निविदा प्रपत्र में दी जावे । एक से अधिक दरें होने पर न्यूनतम वाली दर को ही माना जावेगा । निर्धारित स्पेशिफिकेशन/मार्का से भिन्न अन्य स्पेशिफिकेशन/ मार्का की दरें नहीं दी जावे ।
24. सूची में वर्णित सामग्री के सेम्पल किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में आकर देखे जा सकते हैं ।
25. सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा । बिल का भुगतान कोषालय से बिल पारित होने के पश्चात ही किया जावेगा ।
26. बोली उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी ।
27. सामान की अदायगी बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जावेगी । आदेश प्राप्ति के 4 दिवस में सभी सामान प्रदाय करेगा । विलम्बित सुपुर्दगी के लिए परिनिर्धारित राशि वसूल की जावेगी ।
28. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही बोली वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम या अधिक खरीदता है तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।
29. उपरोक्त शर्तों के अलावा RTPP Act 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्त एवं प्रावधान लागू रहेंगे ।

अतिरिक्त निदेशक (विकास)

बोली प्रपत्र की समस्त शर्तों को पढ लिया, समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबंधित रहेंगे/रहूंगा। मैंने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर**

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग,

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

बोली प्रपत्र

1. विषय : कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता व दूरभाष संख्या
.....
.....
3. संदर्भ बोली सूचना क्रमांक:एफ.10()स्टेशनरी/सा.भ./पवि/2015/..... दिनांक
4. किसको सम्बोधित किया गया है :- निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर
5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/- रसीद सं.
दिनांक द्वारा कार्यालय में जमा करा दी है ।
6. निविदा सूचना में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा निविदा सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं ।
7. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नॉन शैड्यूल में प्रदाय की जाने वाली सामग्री के नाम व मात्रा के सामने दरें अंकित कर दी गई हैं ।
8. उक्त दरें दर अनुमोदन आदेश होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से अधिकतम 3 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
9. धरोहर राशि हेतु आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर के पक्ष में रु. का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या दिनांकद्वारा कार्यालय में जमा करा दिया गया है ।
10. इसके साथ गत वित्तीय वर्ष का बिक्री कर/वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर रजिस्ट्रेशन विभाग/उत्पाद शुल्क विभाग के कर चुकता किये जाने के प्रमाण स्वरूप गत वर्ष के चालान/रिटर्न की प्रतियाँ संलग्न हैं। बिक्री कर रजिस्ट्रेशन क्रमांक
11. निविदादाता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर.प्रारूप-11 संलग्न है ।
12. PAN No. की छांयाप्रति संलग्न कर दी गई है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग,

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए निविदा।

निविदादाता फर्म का नाम _____

1.	कम्प्यूटर कार्टेज 1. 88 A 2. एच.पी. लेजर जेट 12 ए (1020) 3. केनन FX 9 S	20 पीस 20 पीस 20 पीस		
2.	कम्प्यूटर कार्टेज रिफिल, प्रिन्टर ड्रम एवं प्रिन्टर पीसीआर रोड सहित 1. 88 A 2. एच.पी. लेजर जेट 12 ए (1020) 3. केनन FX 9 S	प्रत्येक 100 पीस 100 पीस 50 पीस		
3.	पेन ड्राईव 8 G B 16 G B 32 G B	40 पीस 20 पीस 20 पीस		
4.	C D DVD	500 नग 500 नग		
5.	माउस U S B	25 नग		
6.	की – बोर्ड USB	25 नग		
7.	Ex. Hard Disk 500 G B Ex. Hard Disk 1 T B	5 नग 5 नग		
8.	प्रिन्टर केबल	12 नग		
9.	पॉवर केबल	12 नग		

- नोट:- 1. अंको एव शब्दों में दी गई दरों में अन्तर होने पर जो दर कम होगी वह ही मान्य होगी।
2. प्रपत्र में दी गई सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
3. यदि अनुमत किस्म, मेक या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. कमेटी द्वारा सामग्री की मार्का, तादाद आदि सत्यापित करने के पश्चात ही स्टोरकीपर द्वारा सामग्री स्वीकार की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानों /उपकरणों के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूं/हैं ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, मेरी/हमारी प्रतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समपहृत कर दिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदाकार को निविदा देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये।

1. निविदाएं, बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफों में बन्द करके प्रस्तुत की जानी चाहिये।
2. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें शब्दों के साथ अंकों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
3. बोली उन फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड अनुमोदित प्रदायक हैं, या उनके द्वारा जो उस सामान का जिसके लिए बोली दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हैं।
4. प्रदाय किये जाने वाले सामान सम्बन्धी शर्तों, विस्तृत विवरण आदि के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो प्रभारी अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है।
5. बोलीदाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे हस्तान्तरित कर सकेगा।
6. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान, उसके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण, व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत प्रमाणिक नमूनों से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिये और किसी ऐसे सामान के मामले में जिसके लिए कोई प्रमाणिक या स्वीकृत नमूने नहीं हैं, सामान का प्रदाय भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्रकार की किस्म का होना चाहिये। सामान की किस्म के सम्बन्ध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा बोलीकारों के लिए मान्य होगा। प्रदाय की गई किन्ही ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जावें तथा जिन्हे अस्वीकार कर दिया जाये या बदलवाई जाये और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों की अस्वीकृत अथवा बदले जाने के कारण प्रदायकों को कोई हानि हो तो वह पूर्ण रूप से बोलीकार के जिम्मे होगी।
7. यदि अनुमत किस्म, मेक या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. अस्वीकृत वस्तुओं को, अस्वीकृत की सूचना की तारीख से 7 दिवस में निविदा देने वाले द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिये। सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे सामान का यथोचित ध्यान रखेंगे, लेकिन उनके भू-गृहादि में रखे सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए वे किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होंगे।
9. बोलीदाता, सामान की सही तरीके से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा।
10. समस्त प्रस्तावित दरें एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में भी दरों में समस्त कर शामिल होने चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा और सामान की सुपुर्दगी आयुक्त, पर्यटन विभाग, गवर्नमेन्ट हॉस्टल परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर में देनी होगी।
11. बोलीदाता जिसकी निविदा स्वीकार की गई है के द्वारा वस्तुओं की प्रदाय की व्यवस्था विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार करनी होगी। क्रय अधिकारी बिना कारण बताये सप्लाई आदेश को घटा/बढ़ा सकता है। क्रय आदेश कार्यालय में सामान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर दिये जावेंगे। विशेष परिस्थितियों में विभाग को समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्टेशनरी की तुरंत आवश्यकता की शीघ्र सप्लाई करने के लिए मांग की सूचना दूरभाष पर दी जा सकती है

- जिसकी पुष्टि पत्र द्वारा भी भेजी जावेगी ऐसी मात्रा की सप्लाई 2 दिवस में करनी होगी ।
12. वस्तुओं का प्रदाय विभाग के समाधानप्रद नहीं होने पर प्रदाय की संविदा किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।
 13. बोली स्याही पैन या बालपैन से भरी जानी चाहिए । पैसिल से या अन्य किसी से भरी गई किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदा में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये । कोई ऑवर राईटिंग नहीं की जानी चाहिए । शुद्धियां यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।
 14. बोलीदाता को, बोली और करार की शर्तों और प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए ।
 15. सफल बोलीदाताओं को निर्धारित प्रारूप में 100/- रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में एक करार निष्पादित करना होगा तथा अनुबन्ध राशि की 5: राशि प्रतिभूति के रूप में बैंकर चैक/डी.डी./एन.एस.सी. द्वारा जमा करवानी होगी जो कार्य के पूर्ण होने की तारीख से दो माह के अन्दर लौटा दी जाएगी । ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय प्रदायक करेगा । प्रदायक को स्टाम्प लगे हुये निष्पादित करार की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायेगी । यदि बोलीकारों को प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या विहित कालावधि के करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तों का भंग माना जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या अनुबन्ध को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर प्रतिभूति राशि क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा ।
 16. संदाय पर विप्रेक्षण व्यय (रेमिटेस चार्ज) संविदाकारों द्वारा वहन किये जायेंगे ।
 17. यदि बोली सामान की सप्लाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी नहीं की गई तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह बोलीकार को सूचना दिये बिना बोलीकार के हिसाब में और उसकी जोखिम (रिस्क एण्ड कोस्ट) पर यह माल या उसका कोई भाग जो बोलीकार सप्लाई न कर पाया हो, और कहीं से भी खरीद लेगा । बोलीकार की सेवाएं असंतोषप्रद होने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को रद्द कर दे तथा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर ले। इस सम्बन्ध में आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
 18. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जायेगा एवं विधि मान्यता की अवधि तथा सुपुर्दगी की अवधि परस्पर सहमति होने पर बढ़ाई जा सकेगी ।
 19. विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी भी बोलीया उसके किसी भाग को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।
 20. बोलीदाता, निविदा के साथ अपरिहार्य रूप में सम्बन्धित सर्किल के बिक्रीकर/वाणिज्यिक कर अधिकारी का बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिनके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा । परन्तु यदि क्रेता प्राधिकारी के पास ये विश्वास करने के कारण हों (जिन्हें, अभिलिखित किया जाना चाहिये) कि निविदाकार बिक्रीकर का शोधन प्रमाण पत्र किन्ही वास्तविक कारणों से नहीं दे सकता है, तो प्राधिकारी निविदा पर विचार कर सकता है परन्तु वह बोलीकार को उक्त प्रमाण-पत्र, हर दशा में संविदा का इकरारनामा निष्पादित करने से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये । ऐसी फर्म जिनका बिक्री कर विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसी फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकती है ।
 21. सफल बोलीदाता द्वारा सामान के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी ।

22. वैधानिक क्षेत्राधिकार जयपुर में स्थित न्यायालय ही होंगे ।
23. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जावेगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से आर्डर के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर सफ्लाई करेगा ।
24. परिनिर्धारित क्षति : विलम्बित सुपुर्दगी के मामलों में सुपुर्दगी अवधि में सक्षम स्वीकृति के बिना विलम्ब हेतु निम्नांकित विवरणानुसार परिनिर्धारित क्षति वसूल की जावेगी : –
 - क) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए क्रय आदेश का 2.5 प्रतिशत
 - ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए क्रय आदेश का 5 प्रतिशत
 - ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए क्रय आदेश का 7.5 प्रतिशत
 - घ) विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
25. बोली प्रपत्र के साथ क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची जी-शेड्यूल संलग्न है जिसमें वर्णित स्पेसिफिकेशन/मार्का के अनुसार ही दरें प्रस्तुत की जावे । एक वस्तु की एक ही दर बोली प्रपत्र में दी जावे । एक से अधिक दरें होने पर न्यूनतम वाली दर को ही माना जावेगा । निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मार्का से भिन्न अन्य स्पेसिफिकेशन/ मार्का की दरें नहीं दी जावे ।
26. जी-शेड्यूल में वर्णित सामग्री के सेम्पल किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में आकर देखे जा सकते हैं ।
27. सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा । बिल का भुगतान कोषालय से बिल पारित होने के पश्चात ही किया जावेगा ।
28. बोलीएं उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होंगी ।
29. सामान की अदायगी निविदादाता जिसकी बोली स्वीकार की जावेगी । आदेश प्राप्ति के 4 दिवस में सभी सामान प्रदाय करेगा । विलम्बित सुपुर्दगी के लिए परिनिर्धारित राशि वसूल की जावेगी ।
30. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम या अधिक खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।
31. उपरोक्त शर्तों के अलावा बोली में किसी भी अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

अतिरिक्त निदेशक (विकास)

बोली प्रपत्र की समस्त शर्तों को पढ लिया, समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबंधित रहेंगे/रहूंगा। मैंने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर**

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

बोली प्रपत्र

1. विषय : विद्युत सामग्री की आपूर्ति के लिए बोली।
2. बोलीप्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता व दूरभाष संख्या
.....
.....
3. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक:एफ.10()स्टेशनरी/सा.भ./पवि/2015/ दिनांक
4. किसको सम्बोधित किया गया है :- निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर
5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/- रसीद सं.
दिनांक द्वारा कार्यालय में जमा करा दी है ।
6. निविदा सूचना में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा निविदा सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं ।
7. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नॉन शैड्यूल में प्रदाय की जाने वाली सामग्री के नाम व मात्रा के सामने दरें अंकित कर दी गई हैं ।
8. उक्त दरें दर अनुमोदन आदेश होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से अधिकतम 3 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
9. धरोहर राशि हेतु आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर के पक्ष में रु. का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या दिनांकद्वारा कार्यालय में जमा करा दिया गया है ।
10. इसके साथ गत वित्तीय वर्ष का बिक्री कर/वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर रजिस्ट्रेशन विभाग/उत्पाद शुल्क विभाग के कर चुकता किये जाने के प्रमाण स्वरूप गत वर्ष के चालान/रिटर्न की प्रतियाँ संलग्न हैं। बिक्री कर रजिस्ट्रेशन क्रमांक
11. निविदादाता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर.प्रारूप-11 संलग्न है ।
12. PAN No. की छांयाप्रति संलग्न कर दी गई है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

विद्युत सामग्री की आपूर्ति के लिए बोली ।

बोलीदाता फर्म का नाम _____

1.	ट्यूब लाईट (कम्पलीट)	50 नग		
2.	बल्ब 60 वाट	50 नग		
3.	सी.एफ.एल 18 वॉट	50 नग		
4.	पी.एल. ट्यूब रॉड	50 नग		
5.	शोकित 5 एमपीआर	30 नग		
6.	वायर 1.5 एम.एम. कॉपर	2 बंडल		
7.	वायर फ्लेक्सिकल	2 बंडल		
8.	रेगुलेटर	25 नग		
9.	विद्युत घण्टी (बज्जर, डिगजेंग, सिम्पल)	25 नग		
10.	रिमोट बेल	10 नग		
11.	विद्युत घण्टी बटन	25 नग		
12.	ट्यूब लाईट (डण्डा)	50 नग		
13.	चौक	50 नग		
14.	स्टार्टर	50 नग		
15.	प्लग	50 नग		
16.	होल्डर	20 नग		
17.	स्विच	20 नग		
18.	स्पाईक एक्सटेंशन कोर्ड	10 नग		
19.	विद्युत केटली-सैलो	5 नग		
	विद्युत केटली-बजाज	5 नग		
	विद्युत केटली-फिलिप्स	5 नग		
	विद्युत केटली-मिल्टन	5 नग		
20.	कन्डेन्सर (2.5 mfd)	5 नग		
21.	स्वीच (5 Aup मोडुलर)	25 नग		
22.	सर्किट (5 Aup मोडुलर)	25 नग		
23.	स्वीच (15 Aup मोडुलर)	15 नग		
24.	सर्किट (15 Aup मोडुलर)	15 नग		
25.	रेगुलेटर पखा – मोडुलर	2 नग		
26.	वायर कॉपर 2.5 MM	15 नग		
27.	प्लग (5 Aup टॉप)	15		

- नोट:-**
1. अंको एव शब्दों में दी गई दरों में अन्तर होने पर जो दर कम होगी वह ही मान्य होगी।
 2. प्रपत्र में दी गई सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
 - 3 यदि अनुमत किस्म, मेक या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - 4 कमेटी द्वारा सामग्री की मार्का, तादाद आदि सत्यापित करने के पश्चात ही स्टोरकीपर द्वारा सामग्री स्वीकार की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानों /उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूं/हैं ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, मेरी/हमारी प्रतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समपहृत कर दिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदाकार को निविदा देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ।

1. निविदाएं, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफों में बन्द करके प्रस्तुत की जानी चाहिये ।
2. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें शब्दों के साथ अंकों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए ।
3. निविदा उन फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड अनुमोदित प्रदायक हैं, या उनके द्वारा जो उस सामान का जिसके लिए निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हैं ।
4. प्रदाय किये जाने वाले सामान सम्बन्धी शर्तों, विस्तृत विवरण आदि के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो प्रभारी अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है ।
5. निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे हस्तान्तरित कर सकेगा ।
6. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान, उसके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण, व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत प्रमाणिक नमूनों से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिये और किसी ऐसे सामान के मामले में जिसके लिए कोई प्रमाणिक या स्वीकृत नमूने नहीं हैं, सामान का प्रदाय भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्रकार की किस्म का होना चाहिये । सामान की किस्म के सम्बन्ध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा निविदाकारों के लिए मान्य होगा । प्रदाय की गई किन्हीं ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जावें तथा जिन्हे अस्वीकार कर दिया जाये या बदलवाई जाये और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों की अस्वीकृत अथवा बदले जाने के कारण प्रदायकों को कोई हानि हो तो वह पूर्ण रूप से निविदाकार के जिम्मे होगी ।
7. यदि अनुमत किस्म, मेक या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
8. अस्वीकृत वस्तुओं को, अस्वीकृत की सूचना की तारीख से 7 दिवस में निविदा देने वाले द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिये । सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे सामान का यथोचित ध्यान रखेंगे, लेकिन उनके भू-गृहादि में रखे सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए वे किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होंगे ।
9. निविदादाता, सामान की सही तरीके से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा ।
10. समस्त प्रस्तावित दरें एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए । स्थानीय प्रदायों के मामलों में भी दरों में समस्त कर शामिल होने चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा और सामान की सुपुर्दगी आयुक्त, पर्यटन विभाग, गवर्नमेन्ट हॉस्टल परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर में देनी होगी ।
11. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की गई है के द्वारा वस्तुओं की प्रदाय की व्यवस्था विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार करनी होगी । क्रय अधिकारी बिना कारण बताये सप्लाई आदेश को घटा/बढ़ा सकता है । क्रय आदेश कार्यालय में सामान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर

- दिये जावेंगे । विशेष परिस्थितियों में विभाग को समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्टेशनरी की तुरंत आवश्यकता की शीघ्र सप्लाई करने के लिए मांग की सूचना दूरभाष पर दी जा सकती है जिसकी पुष्टि पत्र द्वारा भी भेजी जावेगी ऐसी मात्रा की सप्लाई 2 दिवस में करनी होगी ।
12. वस्तुओं का प्रदाय विभाग के समाधानप्रद नहीं होने पर प्रदाय की संविदा किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।
 13. निविदा स्याही पैन या बालपैन से भरी जानी चाहिए । पैसिल से या अन्य किसी से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदा में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये । कोई ऑवर राईटिंग नहीं की जानी चाहिए । शुद्धियां यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।
 14. निविदादाता को, निविदा और करार की शर्तों और प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए ।
 15. सफल निविदादाताओं को निर्धारित प्रारूप में 100/- रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में एक करार निष्पादित करना होगा तथा अनुबन्ध राशि की 5: राशि प्रतिभूति के रूप में बैंकर चैक/डी.डी./एन.एस.सी. द्वारा जमा करवानी होगी जो कार्य के पूर्ण होने की तारीख से दो माह के अन्दर लौटा दी जाएगी । ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय प्रदायक करेगा । प्रदायक को स्टाम्प लगे हुये निष्पादित करार की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायेगी । यदि निविदाकारों को प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या विहित कालावधि के करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तों का भंग माना जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या अनुबन्ध को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर प्रतिभूति राशि क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा ।
 16. संदाय पर विप्रेक्षण व्यय (रेमिटेन्स चार्ज) संविदाकारों द्वारा वहन किये जायेंगे ।
 17. यदि निविदा सामान की सप्लाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी नहीं की गई तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह निविदाकार को सूचना दिये बिना निविदाकार के हिसाब में और उसकी जोखिम (रिस्क एण्ड कोस्ट) पर यह माल या उसका कोई भाग जो निविदाकर सप्लाई न कर पाया हो, और कहीं से भी खरीद लेगा । निविदाकार की सेवाएं असंतोषप्रद होने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को रद्द कर दे तथा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर ले । इस सम्बन्ध में आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
 18. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जायेगा एवं विधि मान्यता की अवधि तथा सुपुर्दगी की अवधि परस्पर सहमति होने पर बढ़ाई जा सकेगी ।
 19. विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी भी निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।
 20. निविदादाता, निविदा के साथ अपरिहार्य रूप में सम्बन्धित सर्किल के बिक्रीकर/वाणिज्यिक कर अधिकारी का बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिनके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा । परन्तु यदि क्रेता प्राधिकारी के पास ये विश्वास करने के कारण हों (जिन्हें, अभिलिखित किया जाना चाहिये) कि निविदाकार बिक्रीकर का शोधन प्रमाण पत्र किन्ही वास्तविक कारणों से नहीं दे सकता है, तो प्राधिकारी निविदा पर विचार कर सकता है परन्तु वह निविदाकार को उक्त प्रमाण-पत्र, हर दशा में संविदा का इकरारनामा निष्पादित करने से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये । ऐसी फर्म जिनका बिक्री कर विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसी फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकती है ।

21. सफल निविदादाता द्वारा सामान के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
22. वैधानिक क्षेत्राधिकार जयपुर में स्थित न्यायालय ही होंगे।
23. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जावेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से आर्डर के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
24. परिनिर्धारित क्षति : विलम्बित सुपुर्दगी के मामलों में सुपुर्दगी अवधि में सक्षम स्वीकृति के बिना विलम्ब हेतु निम्नांकित विवरणानुसार परिनिर्धारित क्षति वसूल की जावेगी : –
 - क) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए क्रय आदेश का 2.5 प्रतिशत
 - ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए क्रय आदेश का 5 प्रतिशत
 - ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए क्रय आदेश का 7.5 प्रतिशत
 - घ) विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
25. निविदा प्रपत्र के साथ क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची जी-शेडयूल संलग्न है जिसमें वर्णित स्पेसिफिकेशन/मार्का के अनुसार ही दरें प्रस्तुत की जावे। एक वस्तु की एक ही दर निविदा प्रपत्र में दी जावे। एक से अधिक दरें होने पर न्यूनतम वाली दर को ही माना जावेगा। निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मार्का से भिन्न अन्य स्पेसिफिकेशन/मार्का की दरें नहीं दी जावे।
26. जी-शेडयूल में वर्णित सामग्री के सेम्पल किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में आकर देखे जा सकते हैं।
27. सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा। बिल का भुगतान कोषालय से बिल पारित होने के पश्चात ही किया जावेगा।
28. निविदाएं उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
29. सामान की अदायगी निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जावेगी। आदेश प्राप्ति के 4 दिवस में सभी सामान प्रदाय करेगा। विलम्बित सुपुर्दगी के लिए परिनिर्धारित राशि वसूल की जावेगी।
30. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम या अधिक खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
31. उपरोक्त शर्तों के अलावा निविदा में किसी भी अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतिरिक्त निदेशक (विकास)

निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों को पढ लिया, समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबंधित रहेंगे/रहूंगा। मैंने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

**निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर**

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग,
होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

निविदा प्रपत्र

1. विषय : विविध सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता व दूरभाष संख्या
.....
.....
3. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक:एफ.10()स्टेशनरी/सा.भ./पवि/2015/ दिनांक
4. किसको सम्बोधित किया गया है :- निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर
5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/- रसीद सं.
दिनांक द्वारा कार्यालय में जमा करा दी है ।
6. निविदा सूचना में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा निविदा सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं ।
7. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नॉन शैड्यूल में प्रदाय की जाने वाली सामग्री के नाम व मात्रा के सामने दरें अंकित कर दी गई हैं ।
8. उक्त दरें दर अनुमोदन आदेश होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से अधिकतम 6 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा ।
9. धरोहर राशि हेतु आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर के पक्ष में रु. का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या दिनांकद्वारा कार्यालय में जमा करा दिया गया है ।
10. इसके साथ गत वित्तीय वर्ष का बिक्री कर/वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर रजिस्ट्रेशन विभाग/उत्पाद शुल्क विभाग के कर चुकता किये जाने के प्रमाण स्वरूप गत वर्ष के चालान/रिटर्न की प्रतियाँ संलग्न हैं। बिक्री कर रजिस्ट्रेशन क्रमांक
11. निविदादाता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर.प्रारूप-11 संलग्न है ।
12. PAN No. की छांयाप्रति संलग्न कर दी गई है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

विविध सामग्री की आपूर्ति के लिए बोली ।

बोलीदाता फर्म का नाम _____

1.	काँच के गिलास (येरा 200 एम.एल)	500 पीस		
2.	विजिटिंग कार्ड एलबप ए-4 साईज	5 पीस		
3.	पेपर नेपकिन	25 पीस		
4.	हिट स्प्रे	50 पीस		
5.	प्लास्टिक सूतली	10 पैकेट		
6.	रबल बेन्ड	5 पैकेट		
7.	टॉयलेट सोप (50 ग्राम)	300 पीस		
8.	विम पाउडर	50 किलो		
9.	पेंसिल सेल (नोविनो)	200 पीस		
10.	केम्पर (सेलो) 5 लीटर	10 पीस		
11.	जग प्लास्टिक (2 लीटर) (सैलो)	50 पीस		
12.	डस्टबीन छोटी (प्लास्टिक) (सैलो)	50 पीस		
13.	प्लास्टिक ऑफिस ट्रे (सैलो)	20 पीस		
14.	रूम स्प्रे 200 एम.एल. कारवा (गुलाब, चन्दन, चमेली, हजारा)	100 पीस		
15.	प्लास्टिक बाल्टी 10 लीटर (सैलो)	2 दर्जन		
16.	प्लास्टिक मग 500 एम.एल. (सैलो)	2 दर्जन		
17.	ओडोनील एयरफ्रेशनर 75 ग्राम	2 दर्जन		
18.	कॉलीन	1 दर्जन		
19.	पेजर पेंसिल सैल	100 नग		
20.	कपूर की गोली	5 किग्रा		
21.	ऑल आउट मशीन	20 नग		
22.	आल आउट रिफिल	100 नग		
23.	तौलिया बड़े डीसीएम	25 नग		
24.	तौलिया छोटे डीसीएम	50 नग		
25.	सैल नोविनो बड़े	40 नग		
26.	पायदान जूट/प्लाॉस्टिक	50 नग		
27.	डिप चाय ताज	36 पैकेट		
28.	शुगर क्यूब	50 पैकेट		
29.	दूध पाउडर ऐवरी 1/2 किलो पैकेट	100 पैकेट		
30.	लेमन टी	20 पैकेट		
31.	काँपी नेस्केफे 100 ग्राम	20 पैकेट		
32.	चाँकलेट पावडर	12 पैकेट		
33.	लिक्विड शॉप डिटोल	100 नग		

34.	कप प्लेट सेट (भारत)	30 सेट		
35.	गिलास सेट (भारत)	30 सेट		
36.	ताले हरीसन 8 लीवर	25 नग		
37.	थर्मस-सैलो थर्मस-मिल्टन	10 नग 10 नग		
38.	मीटिंग स्टैण्ड प्लास्टिक ए 4	10 नग		

- नोट:-**
1. अंको एव शब्दों में दी गई दरों में अन्तर होने पर जो दर कम होगी वह ही मान्य होगी।
 2. प्रपत्र में दी गई सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
 - 3 यदि अनुमत किस्म, मेक या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - 4 कमेटी द्वारा सामग्री की मार्का, तादाद आदि सत्यापित करने के पश्चात ही स्टोरकीपर द्वारा सामग्री स्वीकार की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानों /उपकरणों के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूं/हैं ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, मेरी/हमारी प्रतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समपहृत कर दिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर

निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदाकार को निविदा देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ।

1. निविदाएं, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफों में बन्द करके प्रस्तुत की जानी चाहिये ।
2. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें शब्दों के साथ अंकों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए ।
3. निविदा उन फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड अनुमोदित प्रदायक हैं, या उनके द्वारा जो उस सामान का जिसके लिए निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हैं ।
4. प्रदाय किये जाने वाले सामान सम्बन्धी शर्तों, विस्तृत विवरण आदि के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो प्रभारी अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है ।
5. निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे हस्तान्तरित कर सकेगा ।
6. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान, उसके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण, व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत प्रमाणिक नमूनों से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिये और किसी ऐसे सामान के मामले में जिसके लिए कोई प्रमाणिक या स्वीकृत नमूने नहीं हैं, सामान का प्रदाय भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्रकार की किस्म का होना चाहिये । सामान की किस्म के सम्बन्ध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा निविदाकारों के लिए मान्य होगा । प्रदाय की गई किन्हीं ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जावें तथा जिन्हे अस्वीकार कर दिया जाये या बदलवाई जाये और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों की अस्वीकृत अथवा बदले जाने के कारण प्रदायकों को कोई हानि हो तो वह पूर्ण रूप से निविदाकार के जिम्मे होगी ।
7. यदि अनुमत किस्म, मेक या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
8. अस्वीकृत वस्तुओं को, अस्वीकृत की सूचना की तारीख से 7 दिवस में निविदा देने वाले द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिये । सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे सामान का यथोचित ध्यान रखेंगे, लेकिन उनके भू-गृहादि में रखे सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए वे किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होंगे ।
9. निविदादाता, सामान की सही तरीके से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा ।
10. समस्त प्रस्तावित दरें एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए । स्थानीय प्रदायों के मामलों में भी दरों में समस्त कर शामिल होने चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा और सामान की सुपुर्दगी आयुक्त, पर्यटन विभाग, गवर्नमेन्ट हॉस्टल परिसर, एम.आई.रोड, जयपुर में देनी होगी ।
11. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की गई है के द्वारा वस्तुओं की प्रदाय की व्यवस्था विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार करनी होगी । क्रय अधिकारी बिना कारण बताये सप्लाई आदेश को घटा/बढ़ा सकता है । क्रय आदेश कार्यालय में सामान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर

- दिये जावेंगे । विशेष परिस्थितियों में विभाग को समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्टेशनरी की तुरंत आवश्यकता की शीघ्र सप्लाई करने के लिए मांग की सूचना दूरभाष पर दी जा सकती है जिसकी पुष्टि पत्र द्वारा भी भेजी जावेगी ऐसी मात्रा की सप्लाई 2 दिवस में करनी होगी ।
12. वस्तुओं का प्रदाय विभाग के समाधानप्रद नहीं होने पर प्रदाय की संविदा किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।
 13. निविदा स्याही पैन या बालपैन से भरी जानी चाहिए । पैसिल से या अन्य किसी से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदा में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये । कोई ऑवर राईटिंग नहीं की जानी चाहिए । शुद्धियां यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।
 14. निविदादाता को, निविदा और करार की शर्तों और प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए ।
 15. सफल निविदादाताओं को निर्धारित प्रारूप में 100/- रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में एक करार निष्पादित करना होगा तथा अनुबन्ध राशि की 5: राशि प्रतिभूति के रूप में बैंकर चैक/डी.डी./एन.एस.सी. द्वारा जमा करवानी होगी जो कार्य के पूर्ण होने की तारीख से दो माह के अन्दर लौटा दी जाएगी । ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय प्रदायक करेगा । प्रदायक को स्टाम्प लगे हुये निष्पादित करार की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायेगी । यदि निविदाकारों को प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या विहित कालावधि के करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तों का भंग माना जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या अनुबन्ध को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर प्रतिभूति राशि क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा ।
 16. संदाय पर विप्रेक्षण व्यय (रेमिटेन्स चार्ज) संविदाकारों द्वारा वहन किये जायेंगे ।
 17. यदि निविदा सामान की सप्लाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी नहीं की गई तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह निविदाकार को सूचना दिये बिना निविदाकार के हिसाब में और उसकी जोखिम (रिस्क एण्ड कोस्ट) पर यह माल या उसका कोई भाग जो निविदाकर सप्लाई न कर पाया हो, और कहीं से भी खरीद लेगा । निविदाकार की सेवाएं असंतोषप्रद होने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को रद्द कर दे तथा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर ले । इस सम्बन्ध में आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
 18. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जायेगा एवं विधि मान्यता की अवधि तथा सुपुर्दगी की अवधि परस्पर सहमति होने पर बढ़ाई जा सकेगी ।
 19. विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी भी निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।
 20. निविदादाता, निविदा के साथ अपरिहार्य रूप में सम्बन्धित सर्किल के बिक्रीकर/वाणिज्यिक कर अधिकारी का बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिनके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा । परन्तु यदि क्रेता प्राधिकारी के पास ये विश्वास करने के कारण हों (जिन्हें, अभिलिखित किया जाना चाहिये) कि निविदाकार बिक्रीकर का शोधन प्रमाण पत्र किन्हीं वास्तविक कारणों से नहीं दे सकता है, तो प्राधिकारी निविदा पर विचार कर सकता है परन्तु वह निविदाकार को उक्त प्रमाण-पत्र, हर दशा में संविदा का इकरारनामा निष्पादित करने से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये । ऐसी फर्म जिनका बिक्री कर विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसी फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकती है ।

21. सफल निविदादाता द्वारा सामान के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
22. वैधानिक क्षेत्राधिकार जयपुर में स्थित न्यायालय ही होंगे।
23. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जावेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से आर्डर के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
24. परिनिर्धारित क्षति : विलम्बित सुपुर्दगी के मामलों में सुपुर्दगी अवधि में सक्षम स्वीकृति के बिना विलम्ब हेतु निम्नांकित विवरणानुसार परिनिर्धारित क्षति वसूल की जावेगी : –
 - क) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए क्रय आदेश का 2.5 प्रतिशत
 - ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए क्रय आदेश का 5 प्रतिशत
 - ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए क्रय आदेश का 7.5 प्रतिशत
 - घ) विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
25. निविदा प्रपत्र के साथ क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची जी-शेडयूल संलग्न है जिसमें वर्णित स्पेसिफिकेशन/मार्का के अनुसार ही दरें प्रस्तुत की जावे। एक वस्तु की एक ही दर निविदा प्रपत्र में दी जावे। एक से अधिक दरें होने पर न्यूनतम वाली दर को ही माना जावेगा। निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मार्का से भिन्न अन्य स्पेसिफिकेशन/मार्का की दरें नहीं दी जावे।
26. जी-शेडयूल में वर्णित सामग्री के सेम्पल किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में आकर देखे जा सकते हैं।
27. सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा। बिल का भुगतान कोषालय से बिल पारित होने के पश्चात ही किया जावेगा।
28. निविदाएं उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
29. सामान की अदायगी निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जावेगी। आदेश प्राप्ति के 4 दिवस में सभी सामान प्रदाय करेगा। विलम्बित सुपुर्दगी के लिए परिनिर्धारित राशि वसूल की जावेगी।
30. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम या अधिक खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
31. उपरोक्त शर्तों के अलावा निविदा में किसी भी अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतिरिक्त निदेशक (विकास)

निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों को पढ लिया, समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबद्धित रहेंगे/रहूंगा। मैंने/हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

**निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर**

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई. रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ.10()निविदा /सा. भ./पवि/2015-16/

दिनांक :

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
जयपुर।

विषय :- निविदा सूचना प्रकाशित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ इस विभाग की निविदा सूचना संख्या क्रमांक : एफ.10 () निविदा/सा. भ./पवि/2015-16/673दिनांक 08.04.15 की 8 प्रतियाँ संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त निविदा सूचना निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावें :-

1. एक क्षेत्रीय स्तर का समाचार पत्र।
 2. एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसारण 50000 प्रतियों या अधिक में हो।
- संलग्न : 8 निविदा सूचना की प्रति एवं एक सीडी।**

भवदीय,
-----ह0-----
अतिरिक्त निदेशक
(विकास)

क्रमांक : एफ.10()निविदा /सा. भ./पवि/2015-16/675-78

दिनांक : 08.04.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक, एसीपी, आई.टी. शाखा मुख्यालय, जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त निविदा विभागीय वेबसाइट पर भी जारी करवाने की व्यवस्था करावें।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
3. क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय/पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना केन्द्र।
4. नोटीस बोर्ड।

-----ह0-----
सहायक निदेशक
(सामान्य भण्डार)

